79

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1994 (भाद्र 21, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री
(2) श्री मोतीराम उइगु, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(3) श्री शिवप्रसाद गोटिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्य मंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1994-95 का भाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991, 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992 तथा वर्ष 1991-92 का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वर्ष 1992-93,

(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर का दिनांक 30 जून 1991, 30 जून 1992 एवं दिनांक 30 जून 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92,

(घ) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का नवम् एवं दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93,

(ङ.) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का दिनांक 30 जून 1992 एवं 30 जून 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(च) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93,

(छ) विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93,

(ज) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का चौबीसवां एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93,

(झ) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का 21 वां एवं 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992 एवं 1 जुलाई 1992 से 30 जून 1993),

(ञ) मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार तत्कालीन मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री रत्नेश सालोमन, राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, भोपाल की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.